संशोधन

संख्या- 145 /2026 /1032 /चार-2026-1761489

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2026**

विषय:- आजादी का अमृत काल महोत्सव के अन्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया रिसोर्स के 05 माह (नवम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक) के वेतन हेतु MyGov को दी जाने वाली धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-115/2026/989/चार-2026-1761489 दिनांक 29 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या-115/2026/989/चार-2026-1761489 दिनांक 29 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आजादी का अमृत काल महोत्सव के अन्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया रिसोर्स के 05 माह (नवम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक) के वेतन हेतु MyGov को दी जाने वाली धनराशि हेतु रू0 5.50 लाख (रू0 पांच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि मद संख्या ''वित्तीय स्वीकृति चालू वर्ष-2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अपर निदेशक संस्कृति के पत्र संख्या-5035/19 चौरी-चौरी(आई.टी.)/2021(2) दिनांक 31 मार्च, 2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संग्रहालय निदेशालय के सुंसगत मद से स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जाये।

3. अत: इस संबंध में शासनादेश संख्या-115/2026/989/चार-2026-1761489 दिनांक 29 मार्च, 2026 में **आंशिक संशोधन कर** आजादी का अमृत काल महोत्सव के अन्तर्गत विभाग में MyGov के सोशल मीडिया रिसोर्स की सेवाओं का भुगतान की जाने वाली धनराशि आय-व्ययक के अन्तर्गत ''अनुदान सं0-92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद'' **के स्थान पर** ''वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0 92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद'' पढा जाय।

4. शासनादेश संख्या-115/2026/989/चार-2026-1761489 दिनांक 29 मार्च, 2026 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in